



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 20 फरवरी, 2025

फाल्गुन 1, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग-3

संख्या I/886039/35-2025-139एम-18

लखनऊ, 20 फरवरी, 2025

अधिसूचना

शुद्धि-पत्र

प0आ0-36

अधिसूचना संख्या 258/77-3-2024/139एम-18, दिनांक 18 अप्रैल, 2024 द्वारा पूर्वाचल एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु संरक्षण में अवस्थित जनपद आजमगढ़ में अधिग्रहण से अवशेष तहसील निजामाबाद के ग्राम पूरबपट्टी रकबा 1.0027 हे०, कुल रकबा 1.0027 हे० के भूमि अर्जन/पुर्नग्रहण हेतु अधिनियम की धारा 19 की अधिसूचना निर्गत की गयी है। उक्त अधिसूचना दिनांक 18 अप्रैल, 2024 में अनुसूची की तालिका के क्रमांक-1 के कॉलम संख्या 6 में भूखण्ड संख्या 156 व 150 क्षेत्रफल 0.9068 के स्थान पर भूखण्ड संख्या 156 व 160 क्षेत्रफल 0.9068 हे० पढ़ा और समझा जाये।

2-अधिसूचना दिनांक 18 अप्रैल, 2024 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

आज्ञा से,
आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव।

No. I /886039/35/2025-139M-18*Dated Lucknow, February 20, 2025***NOTIFICATION****Corrigendum**

Notification No. 258/77-3-2024/139M-2018, dated April 18, 2024 has been issued for the Acquisition/resumption of the residual land of village Purabapatti of Tehsil Nizamabad area 1.0027 Hact. total Area 1.0027 Hact. located in the alignment of Purvanchal Expressway Project under section 19 of the Acquisition resumption Act.

2. In the said notification dated April 18, 2024, in column 1, at serial number 6 of the scheduled table gata no. 156 and 160, area 0.9068 Hact. inplace of gata no. 156 and 150 area 0.9068 Hact. shall be *read* and understood.

Notification dated April 18, 2024 shall deemed to be amended up to that extent.

By order,
ALOK KUMAR ,
Pramukh Sachiv.